सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर
विमला V/s मोलाराम
T.I 41/2020

17/6/21 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 12/8/21 को पेश हों। G

12/8/21 पत्रा पेश हुई वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस हेतु पुनः अवसर चाहा। अवसर दिया जाता है। पत्रा वास्ते बहस दिनांक 20/8/21 को पेश हो। तब तक स्थगन यथावत रहेगा।

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

20/8/21 पत्रावली पेश हुई। आज अभिभाषकगण ने कार्य स्थगित कर रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/9/21 को पेश हों। G

20/8/21 व 23/8/21 नि. प. राजकीय अवकाश के कारण पत्रा आज पेश हुई।

13/9/21 पत्रा पेश हुई वकील उभय पक्ष हाजिर। बहस हेतु पुनः अवसर चाहा। अवसर दिया गया। पत्रा दिनांक 29/9/21 को पेश हो।

29/9/21 पत्रावली पेश हुई/वकील वादी/प्रतिवादी हाजिर। पीठासीन अधिकारी चुनाव/अन्य कार्य में व्यस्त हैं। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 01/10/21 ...को पेश हों G

01/10/2021

पत्रावली पेश हुई। वकलाय उभय पक्ष उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील उभय पक्ष T.I. सुनी गई।

परवक्त बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है जिसकी पूर्व खातेदारी प्रार्थी के दादा डालूराम पुत्र धानाराम थे

01/10/21
दुनेश कुमारी R.A.S.
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

सहायक कलक्टर द्वितीय सीकर
सिंघासन बनाम भोलाराम
15 / 11 / 2020

दर्ज थी नाम दर्ज थी तथा उनकी मृत्यु उपरान्त प्रार्थी के पिता अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज है। प्रार्थी, अप्रार्थी सं० 1 का जायन्दा पुत्र है। मूल वादपत्र में प्रतिवादी नं० 2 अप्रार्थी नं० 1 की पत्नी है एवं प्रतिवादी नं० 3 अप्रार्थी नं० 1 की जायन्दा पुत्री है जिनको पैतृक सम्पत्ति में हक अधिकार प्राप्त है। प्रार्थी अपने हक हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है। इस प्रकार अप्रार्थी सं० 1 के नाम दर्ज वादग्रस्त भूमि मेंसे प्रार्थी 1/3 हिस्सा की खातेदारी अपने नाम करवाने का कानूनी अधिकारी है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र त.ह. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को विवादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में तादौराने फैसला वाद रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबन्द फरमाया जावे।

वकील प्रार्थी की बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी सं० 1 ने निवेदन किया कि विवादित आराजी की खातेदारी पूर्व में डालूराम पुत्र धानाराम के नाम दर्ज थी जिनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी नं० 1 के हक हिस्सा में विवादित भूमि में से 1/6 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुई। तत्पश्चात् खातेदार प्रभाती, सुवटीदेवी व नारायणी ने अपने अपने हक हिस्सा की भूमि अप्रार्थी सं० 1 व रामचन्द्र के नाम 1/2 - 1/2 हिस्सा

01/10/20
(पुनेश्वा कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)
सीकर

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

की खातेदारी जरिए हक त्याग दर्ज करवा दी। इस प्रकार प्रार्थी व प्रतिवादी सं० 2 व 3 का सम्पूर्ण विवादित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं है। सैतृक भूमि में अप्रार्थी सं० का 1/6 हिस्सा, शेष भूमि अप्रार्थी सं० 1 की स्व. अर्जित कृषि भूमि है जिसमें प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र T.I. सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकील उभय पक्ष पर सगौर मनन किया गया। मुताबिक राजस्व रेकार्ड विवादित आराजी की खातेदारी पूर्व में डालूराम पुत्र धानाराम के नाम दर्ज थी जिनकी मृत्यु पर विरासत के नामा० सं० 1941 दि० 22/06/2011 के द्वारा विरासत की खातेदारी भोलाराम, रामचन्द्र पुत्रगण डालूराम, प्रभाती देवी, नारायणी देवी, सुशीला पुत्रियां डालूराम व भूरीदेवी पत्नी स्व० डालूराम के नाम हि० क० सा० दे० दर्ज हुई। अर्थात् भोलाराम, रामचन्द्र, प्रभाती देवी, नारायणी देवी, सुशीला व भूरी देवी के नाम 1/6-1/6 हिस्सा की खातेदारी दर्ज हुई। तत्पश्चात् उक्त खातेदारों में से प्रभाती देवी, भूरी देवी एवं सुशीला द्वारा अपने हक-हिस्से की भूमि जरिए हक-त्याग भोलाराम व रामचन्द्र के नाम 1/2-1/2 हिस्सानुसार दर्ज करवा दी इस प्रकार विवादित भूमि में अप्रार्थी सं० 1 को जरिए विरासत मात्र 1/6 हिस्सा ही प्राप्त हुआ है शेष हिस्सा अप्रार्थी सं० 1 को सह-खातेदारों से जरिए हक-त्याग प्राप्त हुआ है। प्रार्थी द्वारा विवादित आराजी के संबंध में राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बाबत स्थगन आदेश प्राप्त किया हुआ है जिसे

(मुनेश कुमारी R.A.S.)
सहायक कलक्टर (द्वितीय)

लय सहायक कलक्टर द्वितीय [illegible]

[illegible] बनाम [illegible]

TI 51/2020

न्यायालय विधि सम्मत नहीं पाता है। इस प्रकार प्रकरण में विवादित आराजी के सम्पूर्ण हिस्सा के संबंध में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के सिद्धान्त प्रार्थी के पक्ष में नहीं पाये जाने के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी तन ग्राम कोलीडा तहसील व जिला सीकर (राज०) अवस्थित ख० नं० 160 से 165 रकबा 3.1300 है० में से अप्रार्थी सं० 1 को जरिए विरासत प्राप्त 1/6 हिस्सा की हद तक अप्रार्थीगण को राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत तादौराने फैसल वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है। उक्त वर्णित विवादित आराजी में से उक्त वर्णित 1/6 हिस्सा के अतिरिक्त शेष हिस्सा न्यायालय हाजा द्वारा पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांकित 10.07.2020 से मुक्त किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 01/10/2021 को मेरे द्वारा हस्ताक्षरित कर न्यायालयी मुद्रा सहित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 01/10/2021

(मुनेश कुमारी)
RAS
सहायक कलक्टर
द्वितीय (सीकर)

सहायक कलक्टर (द्वितीय) सीकर

अभिभाषक संघ, सीकर